



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58319

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1858/2026

चंदा देवी और 2 अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: वीरेंद्र सिंह

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, विनोद कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पांडे और राज्य के विद्वान एजीए श्री के.के. गुप्ता को सुना गया।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं द्वारा अपील को स्वीकार करने और दिनांक 27.06.2019 के आरोपपत्र तथा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 290/2023 (राज्य बनाम चंदा देवी और अन्य) जो मुकदमा अपराध संख्या 53/2019 अंतर्गत धारा 452, 354, 323, 504, 506 आईपीसी और धारा 3(2)(v) एससी/एसटी अधिनियम पुलिस स्टेशन खीरी, जिला प्रयागराज से उत्पन्न हुआ है, को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि सूचनादाता द्वारा अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि इसी घटना के संबंध में सूचनादाता के खिलाफ अपीलकर्ता संख्या 1 चंदा देवी द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। झूठा बचाव करने के उद्देश्य से सूचनादाता ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपीलकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान एफआईआर दर्ज कराई है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पहले सूचनादाता की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप झूठे, मनगढ़ंत और निराधार हैं। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी/अपीलकर्ता चंदा देवी ने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचनादाता की पायल भी छीन ली थी। हालांकि, विवेचना के दौरान यह आरोप झूठा पाया गया और परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 392 के तहत आरोप भी हटा दिया गया। जातिवादी अपशब्दों के प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, वह आदेश जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया है, अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. विद्वान एजीए और प्रतिवादी/सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचनादाता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराई गई थी। कथित घटना 20.2.2019 को घटी थी। सूचनादाता की ओर से लिखित शिकायत उसी दिन संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत की गई थी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है। हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट 3.3.2019 को दर्ज कराई गई थी। सूचनादाता द्वारा कानूनी कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा सूचनादाता के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रति-एफआईआर से यह सिद्ध होता है कि यह जवाबी कार्रवाई के रूप में दर्ज कराई गई थी। घटना की पुष्टि सूचनादाता और अन्य गवाहों के बयानों से पूर्ण रूप से होती है। अतः, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. इसी तरह की घटना से संबंधित प्रति-एफआईआर से ही यह संकेत मिलता है कि कथित दिन पक्षों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रतिदावों पर केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही निर्णय लिया जा सकता है। अतः, न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार करना उचित नहीं समझता। हालांकि, यह स्पष्ट है कि अवर न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत संज्ञान लिया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत संज्ञान लेना अनुचित है। यह धारा केवल उन मामलों में लागू होती है जहां अपराधों के लिए दस वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान हो। हालांकि, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी अपराध दस वर्ष से अधिक कारावास की सजा के योग्य नहीं है। अतः, आक्षेपित आदेश को उस हद तक रद्द किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 27.06.2019 के आरोपपत्र और दिनांक 12.05.2023 के संज्ञान/समन आदेश तथा मुकदमा अपराध संख्या 53/2019 से उत्पन्न विशेष सत्र परीक्षण संख्या 290/2023 (राज्य बनाम चंदा देवी और अन्य) की कार्यवाही, जहां तक अपीलकर्ताओं से संबंधित है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराधों के लिए एतद्वारा रद्द की जाती है। हालांकि, आईपीसी के तहत शेष अपराधों के संबंध में कार्यवाही विधिवत जारी रहेगी।

8. तदनुसार, यह आपराधिक अपील उपरोक्त सीमा तक **आंशिक रूप** से स्वीकार की जाती है।

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

एसके

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"